न्यायालय अपर कलक्टर, बाड़मेर कोर्ट केम्प धोरीमना

पीठासीन अधिकारी–श्री ओ.पी.बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 21/2017

अपीलांट		**रेस्पोडेंटस**
वीरमाराम पुत्र हरींगाराम जाति बिश्नोई निवासी शिवमंदिर तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर	**बनाम**	1. तुलछाराम पुत्र हरींगाराम 2. सदराम पुत्र हरींगाराम जाति बिश्नोई निवासी शिव मंदिर तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर 3. तहसीलदार धोरीमना

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्व आदेश दिनांक 09.07.2015 द्वारा तहसीलदार धोरीमना

उपस्थित– 1. अपीलांट अनुपस्थित।
2. रेस्पोडेंटस संख्या 01 व 02 उपस्थित।
3. रेस्पोडेंट संख्या 03 तहसीलदार धोरीमना उपस्थित।

<u>आदेश</u> दिनांक 25.06.2018

न्यायालय अपर कलक्टर सत्यमेव जयते बाड़मेर (राजस्थान)

1. संक्षेप में अपीलान्ट की अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांट व रेस्पोडेंटस संख्या 01 व 02 की पैतृक संयुक्त खातेदारी भूमि मौजा शिव मंदिर के खसरा नंबर 437/59 रकबा 110.00 बीघा तहसील धोरीमना में आई हुई है। उक्त भूमि पर अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 01 व 02 प्रत्येक का 1/3 – 1/3 हिस्सा है तथा इसी तरह से पक्षकारान खातेदारान आपसी सहमति से मौके पर अपने–अपने हिस्से के अनुसार काश्त करते आ रहे है। रेस्पोडेंटस संख्या 01 व 02 द्वारा उक्त आराजी का विभाजन कराने हेतु खाली दस्तावेजात पर पक्षकारान के हस्ताक्षर करवाये जाकर आश्वासन दिया कि

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

पक्षकारान के मौके पर कब्जा काश्त अनुसार विभाजन किया जायेगा परन्तु पटवारी हल्का से मिलकर मौके पर काबिज अनुसार विभाजन नहीं करा कर गलत तरीके से विभाजन प्रस्ताव तैयार किये एवं तहसीलदार धोरीमना के समक्ष पेश कर विभाजन आदेश दिनांक 09.07.2015 तहसीलदार धोरीमना से पारित करवाया गया। उक्त विभाजन आदेश के नक्शे का ज्ञान अपीलांट को नहीं हुआ। इस गलत विभाजन के आधार पर रेस्पोडेंटस संख्या 01 व 02 द्वारा अपीलांट के कब्जे काश्त की भूमि का बेचान करने हेतु किसी अजनबी व्यक्ति को मौका दिखाने हेतु ले आये तब अपीलांट को इस बंटवाड़ा का पता चला। अपीलांट ने उक्त विभाजन आदेश की प्रमाणित प्रतियॉ दिनांक 20.2.2017 को प्राप्त की तब उसे इस विभाजन आदेश दिनांक 09.07.2015 की जानकारी हुई। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हमारे समक्ष पेश की है। अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश का पूर्व में ज्ञान नहीं होने से जानकारी की तिथि से अपील को अंदर म्याद सुमार करने का निवेदन किया। अपीलांट ने अपील के साथ धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र भी पेश किये।

2. हमने अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर कर, रेस्पोडेंटस को सम्मन जारी किये एवं अपीलाधीन पत्रावली तलब की। पत्रावली पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ''न्याय आपके द्वार'' के तहत राजस्व कोर्ट केम्प धोरीमना में पेश हुई। जिसके लिए पक्षकारान एवं अभिभाषक को नोटिस की तामीली करा दी गई है। अपीलांट नोटिस तामील के बावजूद अनुपस्थित।

3. रेस्पोडेंट सं. 01 से 02 का कथन हैं कि हल्का पटवारी द्वारा अपीलांट के समक्ष विभाजन प्रस्ताव तैयार किये गये। सभी पक्षकारान के सहमत होने पर उनके हस्ताक्षर करवाये गये एवं तहसीलदार धोरीमना के समक्ष उपस्थित होकर बंटवाड़ा सही होना स्वीकार करने के बाद तहसीलदार धोरीमना द्वारा उक्त विभाजन आदेश दिनांक 09.07.2015 पारित किया गया। विभाजन आदेश के अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो चुका है। अपीलांट को उक्त विभाजन आदेश की जानकारी शुरू से थी, परन्तु तत्समय इनके

न्यायालय अपर कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

द्वारा कोई उजर एतराज नहीं किया गया था। अपीलांट द्वारा अब तीन साल बाद विभाजन आदेश के विरूद्व अपील पेश की गई है। अपीलांट की अपील सारहीन एवं आधारहीन होने से खारिज की जायें।

4. तहसीलदार धोरीमना का कथन हैं कि राजस्व लोक अदालत ग्राम पंचायत नेडीनाडी मुख्यालय पर मौजा शिव मंदिर के खसरा नंबर 437/59 रकबा 110.00 बीघा के तीनो पक्षकारो द्वारा हल्का पटवारी से मिलकर सहमति से एवं अपने कब्जा–काश्त अनुसार हल्का पटवारी द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार करवाये जाकर तहसीलदार धोरीमना के समक्ष उपस्थित होकर विभाजन हेतु सहमत होना स्वीकार किया। इसप्रकार विभाजन आदेश तीनो पक्षकारान की सहमति से पारित किया गया है। अतः अपीलांट की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

5. हमने रेस्पोडेंटस के कथनो पर मनन किया। पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध अभिलेख तथा तहसीलदार धोरीमना से प्राप्त मौका रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार धोरीमना द्वारा पारित विभाजन आदेश दिनांक 09.07.2015 के विरूद्व पेश की है। अपीलांट व रेस्पोडेंटस संख्या 01 व 02 की पैतृक संयुक्त भूमि खसरा नंबर 437/59 रकबा 110 बीघा तहसील धोरीमना में आई हुई है। अपीलांट एवं रेस्पोडेंटस संख्या 01 व 02 ने अपनी उक्त संयुक्त खातेदारी भूमि का आपसी सहमति से विभाजन करने हेतु हल्का पटवारी से कब्जा काश्त अनुसार नक्शा व विभाजन प्रस्ताव तैयार करवाये एवं तहसीलदार धोरीमना के समक्ष उपस्थित होकर आवेदन पत्र मय विभाजन प्रस्ताव पेश किया। तहसीलदार धोरीमना से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार मौजा शिव मंदिर के नये खसरा नंबर 529/59 रकबा 12.06 बीघा, खसरा नंबर 531/59 रकबा 6.00 बीघा, खसरा नंबर 526/59 रकबा 5.00 बीघा एवं खसरा नंबर 533/59 रकबा 13.00 बीघा भूमि राजस्व रिकार्ड में वीरमाराम के नाम दर्ज हैं एवं वीरमाराम का कब्जा–काश्त है। खसरा नंबर 527/59 रकबा 18.06 बीघा, खसरा नंबर 530/59 रकबा 8.00 बीघा, खसरा नंबर 534/59 रकबा 10.00 बीघा भूमि राजस्व रिकार्ड में तुलछाराम के नाम दर्ज है एवं तुलछाराम का कब्जा–काश्त है। खसरा नंबर

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

437/59 रकबा 17.06 बीघा, खसरा नंबर 532/59 रकबा 19.00 बीघा भूमि सदराम के नाम दर्ज है एवं सदराम का कब्जा–काश्त है। खसरा नंबर 528/59 रकबा 1.02 बीघा भूमि उक्त तीनों पक्षकारान के नाम दर्ज हैं, जो रास्ते हेतु रखी गई है, मौके पर उक्त भूमि रास्ते के रूप में उपयोग में ली जा रही है। इस प्रकार तीनो पक्षकारान अपने–अपने कब्जा काश्त अनुसार भूमि पर काबिज है एवं उसके अनुसार ही इनकी ढाणियॉ बनी हुई है। तहसीलदार धोरीमना द्वारा पारित विभाजन आदेश अनुसार लट्ठाट्रेस में उक्त खसरो की तरमीम हो चुकी है। विभाजन सभी पक्षकारान की आपसी सहमति से करवाया गया है एवं सहमति स्वरूप सभी पक्षकारान ने अपने–अपने हस्ताक्षर विभाजन प्रस्ताव पर किये है। चूंकि सहमतिपूर्वक किए गए विभाजन अनुसार ही प्रार्थी व विप्रार्थी मौके पर काबिज हैं व तदानुसार ही रिकार्ड में तरमीम है। अतः अपील में वर्णित तथ्य आधारहीन प्रतीत होते है, लिहाजा अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है।

6. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपीलांट की अपील खारिज की जाकर तहसीलदार धोरीमना द्वारा पारित विभाजन आदेश दिनांक 09.07.2015 यथावत रखा जाता है।

(ओ.पी.बिश्नोई)
अपर कलक्टर, बाड़मेर

निर्णय कोर्ट केम्प धोरीमना में आज दिनांक 25.06.2018 को खुले परिसर में सुनाया गया।

अपर कलक्टर, बाड़मेर